संचालनालय कोष एवं लेखा,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/डीटीए/सीएसएफएमएस/355/ भोपाल दिनांक 15./02/2017

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :– राज्य शासन के पक्ष में भारत सरकारं के विभिन्न विभागों द्वारा राशि का भुगतान।

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि विभिन्न विभागों के द्वारा भारत सरकार अथवा भारत सरकार के उपक्रम/निगम द्वारा राशि प्रदाय करने हेतु राज्य शासन से बैंक खाते के विवरण की जानकारी प्राप्त की जाती है। विभागों का कोई बैंक खाता न होने के कारण विभागों द्वारा इस कार्यालय से समाधान हेतु संपर्क किया जाता है ताकि राज्य शासन के पक्ष में राशि शीघ्र जमा कराई जा सके।

इस संबंध में अनुरोध है कि CINB सुविधा युक्त बैंक खातों के माध्यम से राज्य शासन को देय राशियॉ जमा करने की सुविधा सायबर कोषालय में विकसित की गई है। अतः भारत सरकार अथवा भारत सरकार के किसी कॉर्पोरेशन से या मध्यप्रदेश शासन के तहत कार्य कर रहे किसी भी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निकाय से राशियॉ ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त होती हैं अथवा हो रही है, तो ऐसे जमाकर्ताओं को सायबर कोषालय की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जाए एवं जमा की जाने वाली राशियाँ सायबर कोषालय के माध्यम से जमा कराने का अनुरोध किया जाए।

उक्तानुसार जमा की गई राशि के चालान नम्बर/CIN नम्बर का विवरण विभाग द्वारा जमाकर्ता से प्राप्त किया जाए, जिसके आधार पर सायबर कोषालय में जमा राशि का सत्यापन किया जा सकता है कि राशि प्राप्त हो गई है तथा उसका विवरण वही है, जो संबंधित द्वारा दिया गया है।

-(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

क्रमांक/डीटीए/ सीएसएफएमएस/ / भोपाल दिनांक ....../02/2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल।
2. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
3. पुलिस महानिरीक्षक (रेल) कार्यालय शासकीय पुलिस मुख्यालय भोपाल, म0प्र0।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा